प्रेस नोट **24/07/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 14 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 24-07-2024 को मु0अ0सं0 476/2018 धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्त वीरेंद्र पुत्र नारायण निवासी खालसा कानून गोमनचक टुटहवा पुल थाना कोतवाली जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं ₹20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री प्रवीण मिश्रा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रचलित श्रावण मास/कांवण यात्रा को लेकर जनपद मऊ में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 24.07.2024 को सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ मऊ कोपागंज कस्बा क्षेत्र के संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, बाजार,भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास रूट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया गया तथा आस-पास शांति/सुरक्षा व्यवस्था आदि का जायजा लिया गया। साथ ही साथ समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में रुट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।